कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 523 /14–1 आगरा, दिनांक, 08 ,अगस्त, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषय :– आगरा में अबन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा–ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का छः लेन चौड़ीकरण में 2.45 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 317 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्र सं0–424 / 14–1 दिनांक 27.07.2017

महोदय,

सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उक्त विषय प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 97 / 14–1 दिनांक 10.07.2017 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति की गई थी, जिसकी आख्या आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई है। आप द्वारा प्रेषित आख्या के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि प्रस्ताव का भॅली प्रकार परीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण निम्न त्रुटियॉ पाई गई हैं :–

1– पृष्ठ संख्या 43 पर अंकित बाधक वृक्षों की गोलाई 31–60 व 61–90 का योग त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।

2– इसी प्रकार पृष्ठ सं0–42 पर बाधक वृक्षों की गोलाई 61–90 का योग त्रुटिपूर्ण है।

3– पृष्ठ सं0–21 मेप पर सहायक अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जबकि मेप पर अधिशासी अभियन्ता की मुहर लगाकर हस्ताक्षर होना चाहिए।

4– प्रस्ताव में पृष्ठों को क्रम से नहीं लगाया गया है।

अतः प्रस्ताव संशोधन हेतु पुनः वापस किया जाता है। भविष्य में प्रस्ताव पर भॅली प्रकार परीक्षण करने के उपरान्त ही प्रेषित किया जॉय, जिससे अनावश्यक पत्राचार एवं विलम्ब न होने पाये।

<u>संलग्नक :–प्रस्ताव 04 प्रतियों में।</u>

भवदीय,

4.8

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

03/8

<u>पत्रांक 523 / समदिनांकित ।</u>

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

03/8

417
D/Chauhan letter 2016